

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 137/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

## उनवान

- 1 महावीर पिता रामनिवास दर्जी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 2 सत्यनारायण पिता रामनिवास दर्जी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 3 रामसुखी पत्नि रामनिवास दर्जी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- ( प्रार्थीगण)

## बनाम

- 1 बालकिशन पिता भंवर लाल दमामी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 2 श्यामलाल पिता भंवर लाल दमामी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 3 एरावत पिता भंवर लाल दमामी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 4 कंवर अली पिता हसन फकीर उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
  - 5 लाड कंवर पत्नि धर्मीचंद जैन (कावडीया) उम्र वयस्क निवासी बावडी चौराहा, गुलाबपुरा तहसील हूरडा जिला, भीलवाड़ा- डिलीट
  - 6 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला भीलवाड़ा
- ( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 05.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 542 के आ.न. 1766 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी क्रम 05 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगण सूचना के बावजूद सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 05 की तामील लौटकर अप्राप्त, पुनः भरकर प्रस्तुति हेतु कहे जाने पर अविवक्ता ने विपक्षी क्रम 05 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में संयोजित विपक्षी क्रम 05 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 542 के आ.न. 1766 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला जिला भीलवाड़ा  
फुलियाकला, जिला भीलवाड़ा